



हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176213
Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala-176213

क्रमांक: हि.शि.बी./43/संबद्धता/2016

8933

दिनांक: 4/3/2016

प्रधानाचार्य/ मुख्याध्यापक,

"कार्यालय आदेश"

संबद्धता कोड नं० 24509
स्कूल कोड 3867

Q.A.V. Public School
Tote
Distt. Shimla (H.P.) 171001/1 पिन कोड

इस कार्यालय के पत्र संख्या हि०शि०बो०/43/संबद्धता/2016 81954 दिनांक 14-12-15 की निरन्तरता में अवगत कराया जाता है कि आपके द्वारा किये गये पुनर्विचार आवेदन पर बोर्ड निर्णय के दृष्टिगत आपके संस्थान को 9-12-15 तक की संबद्धता निम्न शर्तों पर केवल सत्र 2016-17 के लिए Temporary (अस्थायी) आधार पर प्रदान की जाती है:-

1. अगले वर्ष आपको as a fresh case (Fresh/Up-gradation affiliation) हेतु निर्धारित संबद्धता शर्तों के साथ आवेदन करना होगा।
2. एक या दो श्रेणियों के लिए संबद्धता (Arts/Science/Commerce Stream) में कमशः क्रमांक 8 तथा 9 पर (Ticked) चिह्नित किये गये विषयों के लिए होगी।
3. शिक्षण संस्थान उन्हीं पाठ्य-पुस्तकों को पढ़ाने के लिए बाध्य होगा जो हि.प्र.स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई है।
4. शिक्षण संस्थान संबद्धता विनियम की धारा-11 के अन्तर्गत निर्धारित दायित्वों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।
5. यदि सक्षम अधिकारी द्वारा अकस्मात निरीक्षण करने पर यदि यह पाया गया कि निर्धारित पुस्तकों के आतिरेक कोई अन्य पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं या कोई अनियमितता पाई गई तो संबद्धता रद्द कर दी जाएगी।
6. यदि कोई शिक्षण संस्थान संबद्धता विनियम का दृढ़ता से पालन नहीं करता तो सक्षम अधिकारी को संबद्धता वापिस लेने/ रद्द करने का अधिकार होगा।
7. संबद्धता नियम 16.7.2 (v) के अनुसार ही छात्रों का दाखिला अपने संस्थान में करेगा, यदि इस नियम की अनुपालना नहीं की गई तो संबद्धता रद्द की जा सकती है।
8. ~~संस्थान में अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, हिन्दी, गणित, दर्शन शास्त्र, उर्दू, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगोल, रसायनिक विज्ञान, रसायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, लेखा शास्त्र, संस्कृत, अर्थ-शास्त्र, व्यापार अध्ययन, संगीत, लोक प्रशासन, शारीरिक शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी।~~
9. ~~संस्थान में अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, हिन्दी, गणित, दर्शन शास्त्र, उर्दू, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगोल, रसायनिक विज्ञान, रसायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, लेखा शास्त्र, संस्कृत, अर्थ-शास्त्र, व्यापार अध्ययन, संगीत, लोक प्रशासन, शारीरिक शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी।~~
10. गायनालोक उच्च न्यायालय शिमला (हि०प्र०) के निर्देशानुसार उक्त संबद्धता पत्र की एक प्रति स्कूल द्वारा विद्यार्थियों/अधिभावकों को सूचना के लिए नोटिस बोर्ड पर लगाना अनिवार्य है।
11. उपरोक्त निर्देश दिये जाते हैं कि आप अपने संस्थान में दाखिल किये गये कक्षावार बच्चों की लिस्ट 31 मई 2016 तक तथा सत्र प्रारंभ की सूची योग्यता प्रमाण पत्र की प्रति साहित्य शैक्षणिक सत्र के शुरू होने के 15 दिनों के अन्दर अन्दर इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा प्रदान संबद्धता को वापिस ले लिया जायेगा।
12. उपरोक्त निर्देश दिये जाते हैं कि आप भारत / हि० प्र० सरकार द्वारा जारी सभी विधिक प्रावधानों/ संबद्धता रेगुलेशन 1992 में निर्धारित संबद्धता मापदण्डों की अनुपालना भी सुनिश्चित करें।
13. भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र _____ तिथि एवं आग्न सुरक्षा प्रमाण पत्र _____ तिथि तक ही मान्य है इसलिए आपको इस तिथि की समाप्ति के 15 दिनों के अन्दर इसे जमा करवाना होगा।

H.P. Director of School Education
Dharamshala-176700

PC No. 577 / 2016
गायनालोक परिसर, धर्मशाला, पिना कांगड़ा (हि०प्र०)-176213
दूरभाष, Tel: 01902-229037
फैक्स/fax: (01902) 225419, 222817

Gayanalok Parisar, Dharamshala Distt. Kangra (HP)-176213
भण्डा/डाक/e-mail: hpbose2011@gmail.com
Website: hpbose.org